न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पींठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 129/06 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मवीर पुत्र फूसाराम जाति अहीर निवासी ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट वादी

बनाम

1 जैलाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर
2 श्रीचन्द पुत्र फूसाराम जाति अहीर
3 मु. मूर्ति बाई बेवाह फूसाराम जाति अहीर (फौत)
4 रघुनाथ सिंह पुत्र ग्यारसीराम जाति अहीर
5 सन्दीप कुमार पुत्र अभयसिंह जाति अहीर
निवासीयान ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:-- असल रेस्पो0 प्रतिवादी

6 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,कोटकासिम

:--- तकमीली रेस्पो0

7 जयभगवान पुत्र लाली उर्फ सन्तरा जाति अहीर निवासी ग्राम --------- तहसील--- जिला----

:-- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,कोटकासिम
दिनांक 14.7.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री देवेन्द्र कुमार जैन

3 वकील रेस्पो0 सं0 2 :– श्री ओमानन्द चौधरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक 7.5.2018

------   ------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा वाद संख्या 35/2004 में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2006 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद संशोधित टाईटल प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया गया है ।

2 पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर पक्षकारान को तहत न्यायालय में संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे ।

3 हमने राजीनामा पर गौर किया । चूंकि पक्षकारान इस बात पर सहमत है कि तहत न्यायालय में संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे । अतः न्यायहित में संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

4 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.7.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वादी अपीलांट को संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही करें ।

5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner